

परिशिष्ट-1.1
(प्रस्तर 1.1 में सन्दर्भित)
उत्तर प्रदेश राज्य के सामान्य आँकड़े

क्र. सं.	विवरण	आकड़े
1	क्षेत्र ¹	2,40,928 वर्ग किलोमीटर
2	जनसंख्या ²	
	अ. जनगणना 2011 (1 मार्च 2011 को)	19.98 करोड़
	ब. वर्ष 2024 के लिए अनुमानित (1 मार्च 2024 को)	23.81 करोड़
3	दशकीय जनसंख्या वृद्धि ³ (2014–2024)	उत्तर प्रदेश 13.60 प्रतिशत
		अखिल भारतीय (संघ शासित प्रदेशों सहित) 11.26 प्रतिशत
4	साक्षरता दर ⁴ (अखिल भारतीय औसत = 73.00 प्रतिशत)	67.7 प्रतिशत
5	शिशु मृत्यु दर ⁵ (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय औसत = 28 प्रति 1000 जीवित जन्म)	38
6	जन्म पर जीवन प्रत्याशा ⁶ (अखिल भारतीय औसत = 70 वर्ष)	66 वर्ष
7	मौजूदा कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)	₹ 25,47,861 करोड़
8	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी / जीडीपी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) (2014–15 से 2023–24)	उत्तर प्रदेश 9.38
		जीडीपी 8.89
9	जीएसडीपी / जीडीपी सीएजीआर (2014–24)	उत्तर प्रदेश 10.81
		जीडीपी 10.06
10	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (बीपीएल) ⁷ (2011–12) (अखिल भारतीय औसत = 21.92 प्रतिशत)	29.43 प्रतिशत

¹ आर्थिक एवं संख्याकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन।

² भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011–2036, जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट की तालिका 8 (जुलाई 2020) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग।

³ भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011–2036, जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट की तालिका 8 (जुलाई 2020) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग।

⁴ आर्थिक सर्वेक्षण 2021–22।

⁵ सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एस.आर.एस.) बुलेटिन, मई 2022 (वर्ष 2020 के लिए), भारत के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय।

⁶ रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, भारत के कार्यालय द्वारा प्रकाशित एसआरएस आधारित संक्षिप्त जीवन तालिका 2016–20 (अक्टूबर 2022)।

⁷ सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (तेन्दुलकर पद्धति पर आधारित)।

परिशिष्ट-2.1
(प्रस्तर 2.2 में सन्दर्भित)
राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकड़े
(कोष्ठक में दर्शाये गये आँकड़े प्रत्येक उप-शीर्ष के योग का प्रतिशत को इंगित करते हैं)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
भाग अ –प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां जिसमें	366393	296176	371011	417241	465801
(i) स्वयं के कर राजस्व जिसमें	122826(34)	119897(40)	147368(40)	174087(42)	193129(42)
राज्य वस्तु एवं सेवाकर	47232(38)	42860(36)	54594(37)	64141(37)	75146(39)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	20517(17)	22127(18)	27058(18)	31979(18)	31126(16)
राज्य आबकारी	27325(22)	30061(25)	36320(25)	41253(24)	45571(24)
वाहनों पर कर	7715(6)	6483(5)	7776(5)	9059(5)	11205(6)
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	16070(13)	16475(14)	20048(14)	24844(14)	26961(14)
भू-राजस्व	504(0.41)	297(0.25)	193(0.13)	285(0.2)	405(0.21)
विद्युत पर कर और शुल्क	3453(3)	1587(1)	1366(1)	2519(1)	2712(1.4)
अन्य कर	10(0.01)	7(0.01)	13(0.01)	7(0.004)	3(0.001)
(ii) करेतर राजस्व	81705(22)	11846(4)	11436(3)	13489(3)	14249(3)
(iii) केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	117818(32)	106687(36)	160358(43)	169745(41)	202620(44)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	44044(12)	57746(20)	51849(14)	59920(14)	55803(12)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	0	0	0	0	0
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	5641	1135	939	1337	1834
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	372034	297311	371951	418578	467635
5. लोक ऋण प्राप्तियां जिसमें	73809	86859	75751	66847	120654
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	72554(98)	78677(91)	65003(86)	58024(87)	100900(84)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	0	0	0	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1255(2)	8182(9)	10748(14)	8823(13)	19754(16)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	445843	384170	447702	485425	588289
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	662	0	700	0	397
8. लोक लेखा प्राप्तियां⁸	370692	364493	427452	507452	585283
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	817197	748663	875853	992878	1173969
भाग ब—व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय जिसमें	298833(83)	298543(85)	337581(82)	379978(79)	429788(78)
सामान्य सेवाएं	117675(39)	119057(40)	133521(39)	144688(38)	154819(36)
सामाजिक सेवाएं	103849(35)	109727(37)	120987(36)	138928(36)	150986(35)

⁸ इसमें मुख्य शीर्ष 8671 (विभागीय अवशेष), मुख्य शीर्ष 8672 (स्थायी रोकड़ अग्रदाय), मुख्य शीर्ष 8673 (रोकड़ अवशेष निवेश लेखा) और रक्षित निधि के अन्तर्गत निवेश सम्मिलित नहीं है, जो कि राज्य सरकार के रोकड़ अवशेष का भाग है।

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
आर्थिक सेवाएं	62809(21)	55551(19)	66573(20)	78363(21)	100270(23)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	14500(5)	14208(5)	16500(5)	18000(5)	23713(6)
11. पूंजीगत व्यय जिसमें	59998(16)	52237(15)	71443(17)	93028(19)	110555(20)
सामान्य सेवाएं	2495(4)	1523(3)	2357(3)	4450(5)	6833(6)
सामाजिक सेवाएं	10515(18)	12386(24)	18569(26)	35049(38)	39447(36)
आर्थिक सेवाएं	46988(78)	38328(73)	50517(71)	53530(57)	64275(58)
12. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	2120(1)	1153(0.32)	1613(0.39)	10209(2)	8015(1.46)
13. आकस्मिकता निधि को विनियोग	0	0	600(0.15)	0	0
14. कुल व्यय (10+11+12+13)	360951	351933	411237	483215	548358
15. लोक ऋण से पुनर्भुगतान	22401	26778	28726	22690	21389
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	20695(92)	25174(94)	27132(94)	20970(92)	19598(92)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत लेनदेन	0	0	0	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1706(8)	1604(6)	1594(6)	1720(8)	1791(8)
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (14+15)	383352	378711	439963	505905	569747
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	32	100	0	0.06	523
18. लोक लेखे संवितरण⁹	439282	359643	423011	498657	578175
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	827666	738454	862974	1004562	1148445
भाग स-घाटा/आधिक्य					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+) (1-10)	(+)67560	(-)2367	(+)33430	(+)37263	(+)36013
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय आधिक्य (+) (4-14)	(+)11083	(-)54622	(-)39286	(-)64636	-80723
22. प्राथमिक घाटा (-)/राजकोषीय आधिक्य (+) (21+23)	(+)45896	(-)17194	(+)3589	-21628	-33446
23. ब्याज भुगतान (मुख्य शीर्ष 2049 के अन्तर्गत राजस्व व्यय में सम्मिलित)	34813	37428	42876	43008	47277

⁹ इसमें मुख्य शीर्ष 8671 (विभागीय अवशेष), मुख्य शीर्ष 8672 (स्थायी रोकड़ अग्रदाय), मुख्य शीर्ष 8673 (रोकड़ अवशेष निवेश लेखा) और रक्षित निधि के अन्तर्गत संवितरण सम्मिलित नहीं हैं, जो कि राज्य सरकार के रोकड़ अवशेष का भाग है।

परिशिष्ट-2.2
(प्रस्तर 2.3.2.2 में सन्दर्भित)
वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान स्वयं का कर/करेतर राजस्व का संग्रह

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 बजट अनुमान	वास्तविक 2023-24
(अ) वर्ष 2019-24 की अवधि में स्वयं का कर राजस्व						
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	47232	42860	54594	64141	108212	75146
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	20517	22127	27058	31979	41788	31126
राज्य आबकारी	27325	30061	36320	41253	58000	45571
वाहनों पर कर	7715	6483	7776	9059	12672	11205
स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	16070	16475	20048	24844	34560	26961
भू-राजस्व	504	297	193	285	962	405
विद्युत पर कर एवं शुल्क	3453	1587	1366	2519	6440	2712
अन्य कर	10	7	13	7	0	3
योग (अ)	122826	119897	147368	174087	262634	193129
(ब) वर्ष 2019-24 की अवधि में करेतर राजस्व						
राजकोषीय सेवाएं	0.04	0.02	0.07	0.27	0	0.8
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश एवं लाभ	1508	1220	1462	1400	2266	1278
सामान्य सेवाएं	73484	2239	1959	2300	3245	1509
सामाजिक सेवाएं	978	1046	1107	2151	1893	2486
आर्थिक सेवाएं	5,735	7341	6908	7638	16387	8976
योग (ब)	81,705	11846	11436	13489	23791	14249
महायोग (अ+ब)	2,04,531	131743	158804	187576	286425	207378

परिशिष्ट-2.3
(प्रस्तर 2.5.2 में सन्दर्भित)
वर्ष 2023-24 के दौरान आरक्षित निधियों का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	संवितरण	अन्तिम शेष
ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ				
8115-मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	Dr. 4441.57	0.00	0.00	Dr. 4441.57
105- मूल्यहास आरक्षित निधि-निवेश खाता	Dr. 4441.57	0.00	0.00	Dr. 4441.57
8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	Cr. 492743.60	491041.83	186497.32	Cr. 797288.11
101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	Cr. 9.68	0.00	0.00	Cr. 9.68
122- राज्य आपदा अनुक्रिया निधि	Cr. 315835.99	295613.08	156161.06	Cr. 455288.01
129- राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि(एससीएएफ)	Cr. 98267.93	46734.75	16683.89	Cr. 128318.79
130- राज्य आपदा मोचन निधि	Cr. 78630.00	148694.00	13652.37	Cr. 213671.63
योग-ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ	Cr. 4,92743.60	491041.83	186497.32	Cr. 797288.11
निवेश	Dr. 4,441.57	0.00	0.00	Dr. 4441.57
ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ				
8222-निक्षेप (सिंकिंग) निधि	0.00	150000.00	150000.00	0.00
01-ऋण घटाने या उसके परिहार के लिये विनियोजन	Cr. 550000.00	150000.00	0.00	Cr. 700000.00
101-निक्षेप निधि				
02-निक्षेप निधि-निवेश लेखा	Dr. 550000.00	0.00	150000.00	Dr. 700000.00
101-निक्षेप निधि-निवेश लेखा				
8223-अकाल राहत निधि	Dr. 78.01	0.00	0.00	Dr. 78.01
102- अकाल राहत निधि-निवेश लेखा	Dr. 78.01	0.00	0.00	Dr. 78.01
8225-सड़कें एवं सेतु निधि	Cr. 85815.81	550000.00	531510.16	Cr. 104305.65
101- राज्य सड़क तथा सेतु निधि	Cr. 85815.81	550000.00	531510.16	Cr. 104305.65
8226-मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	Cr. 1419.43	0.00	0.00	Cr. 1419.43
102- सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्यहास आरक्षित निधि	Cr. 1419.43	0.00	0.00	Cr. 1419.43
8229-विकास एवं कल्याण निधि	Cr. 76103.41	2500.00	1240.55	Cr. 77362.86
101- शिक्षा प्रयोजनों के लिए विकास निधि	Cr. 4238.23	0.00	1240.55	Cr. 2997.68
106- औद्योगिक विकास निधि	Cr. 100.00	0.00	0.00	Cr. 100.00
109- सहकारी विकास निधि	Cr. 0.01	0.00	0.00	Cr. 0.01
200- अन्य विकास तथा कल्याण निधि	Cr. 71765.17	2500.00	0.00	Cr. 74265.17
8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	Cr. 55117.01	(-) 2384.16	14039.95	Cr. 38692.90
101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियाँ	Cr. 14011.81	(-) 9906.23	0.00	Cr. 4105.58
111- राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (राज्य न्यूनीकरण निधि में अवशेष ₹1,000 लाख को सम्मिलित करते हुए)	Cr. 673.45	(-)4991.25	0.00	Cr. 4317.80
200- अन्य निधियाँ	Cr. 40431.75	12513.32	14039.95	Cr. 38905.12
योग-ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ	Cr. 768455.66	700115.84	546790.66	Cr. 921780.84
निवेश	Dr. 550078.01	0.00	150000.00	Dr. 700078.01
महायोग	आरक्षित निधियाँ	Cr. 1261199.26	1191157.67	733287.98
	निवेश	Dr. 554519.58	0.00	150000.00
				Dr. 704519.58

परिशिष्ट-3.1
(प्रस्तर 3.2.3 में सन्दर्भित)
वर्ष 2023-24 के दौरान एकमुश्त बजटीय प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान सं०	लेखा शीर्ष	मतदेय/भारित	विवरण	मूल बजट प्रावधान	व्यय	प्रतिशत
1	1	4059-01-051-03	मतदेय	आबकारी विभाग के कार्यालय एवं गोदामों के निर्माण हेतु एकमुश्त प्रावधान	0.90	0.00	0.00
2	9	2045-103-04	मतदेय	उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के गठन हेतु एकमुश्त प्रावधान	16.07	16.07	100.00
3	9	2045-103-04	भारित	उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के गठन हेतु एकमुश्त प्रावधान	2.00	2.00	100.00
4	11	2071-01-117-07	मतदेय	एन.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले कृषि विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों का दिनांक 31.03.2019 तक शेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त भुगतान	14.00	0.00	0.00
5	25	4070-800-09	मतदेय	नव निर्मित जिलों में जेलों के निर्माण हेतु भूमि क्रय हेतु एकमुश्त प्रावधान	140.00	120.21	85.86
6	40	2575-06-101-03	मतदेय	सोलर लाइट/सोलर पंप/सोलर पावर फेंसिंग के लिए एकमुश्त व्यवस्था	0.45	0.00	0.00
7	40	2575-06-102-03	मतदेय	समितियों के गठन /उपकरणों/मशीनों/सज्जा के संगठन के लिए एकमुश्त प्रावधान	0.06	0.00	0.00
8	40	2575-06-105-04	मतदेय	कौशल विकास मिशन के लिए एकमुश्त प्रावधान	0.03	0.00	0.00
9	40	2575-06-105-05	मतदेय	फलों और सब्जियों/मसालों के विकास के लिए एकमुश्त प्रावधान	0.03	0.00	0.00
10	40	2575-06-800-04	मतदेय	समीक्षा, प्रशिक्षण और मूल्यांकन के लिए एकमुश्त प्रावधान	0.30	0.00	0.00
11	40	4059-60-051-07	मतदेय	तहसील स्तर पर अधिवक्ताओं/वादकारियों के लिए अधिवक्ता कक्ष/पुस्तकालय/बार काउंसिल भवन/स्थायी संरचना के निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था	10.00	18.50	185.00
12	40	4575-06-101-03	मतदेय	पशु चिकित्सालय/पशु सेवा केन्द्रों के निर्माण/विस्तार हेतु एकमुश्त प्रावधान	0.18	0.00	0.00
13	40	4575-06-102-03	मतदेय	जलापूर्ति कार्यक्रम के लिए एकमुश्त प्रावधान	15.00	0.00	0.00
14	40	4575-06-106-03	मतदेय	ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए एकमुश्त प्रावधान	0.02	0.00	0.00
15	40	4575-06-201-03	मतदेय	विद्यालय भवन की चाहरदीवारी के निर्माण/विस्तार हेतु एकमुश्त प्रावधान	2.40	0.00	0.00
16	40	4575-06-337-03	मतदेय	सड़कों के लिए एकमुश्त प्रावधान	18.00	0.00	0.00

क्र० सं०	अनुदान सं०	लेखा शीर्ष	मतदेय/भारित	विवरण	मूल बजट प्रावधान	व्यय	प्रतिशत
17	40	4575-06-800-03	मतदेय	सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपकेन्द्र भवनों के निर्माण/विस्तार हेतु एकमुश्त प्रावधान	3.00	0.00	0.00
18	40	4575-06-800-04	मतदेय	होम्योपैथी चिकित्सालयों के भवन निर्माण/विस्तार हेतु एकमुश्त प्रावधान	0.01	0.00	0.00
19	40	4575-06-800-06	मतदेय	आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु एकमुश्त प्रावधान	1.20	0.00	0.00
20	40	4575-06-800-09	मतदेय	सी.सी. सड़कों और के.सी. नालों के निर्माण के लिए एकमुश्त प्रावधान	12.57	0.00	0.00
21	40	4575-06-800-10	मतदेय	बाढ़ शरणालय के निर्माण हेतु एकमुश्त प्रावधान	0.24	0.00	0.00
22	40	4575-06-800-11	मतदेय	मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए एकमुश्त प्रावधान	1.50	0.00	0.00
23	40	4575-06-800-12	मतदेय	अनुसूचित जनजाति आश्रम पद्धति विद्यालय परिसर के चाहरदीवारी एवं परिसर में रोड के निर्माण हेतु एकमुश्त प्रावधान	0.03	0.00	0.00
24	40	4575-06-800-13	मतदेय	शौचालय निर्माण के लिए एकमुश्त प्रावधान	1.20	0.00	0.00
25	40	4575-06-800-14	मतदेय	हेरीटेज कार्य निर्माण के लिये शेड थारु शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र/बिक्री एवं प्रदर्शनी केन्द्र/नृत्य संगीत केन्द्र/झोपड़ी आदि के लिए एकमुश्त व्यवस्था	0.45	0.00	0.00
26	40	4575-06-800-15	मतदेय	पर्यटन स्थल विकास हेतु निर्माण/विस्तार/जीर्णोद्धार आदि के लिये एकमुश्त व्यवस्था	0.78	0.00	0.00
27	40	4575-06-800-16	मतदेय	किसान/शेड/गौशाला का निर्माण/विस्तार आदि के लिए एकमुश्त प्रावधान	0.30	0.00	0.00
28	48	2071-01-117-07	मतदेय	सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों के एनपीएस से आच्छादित कर्मचारियों के दिनांक 31.03.2019 तक के अवशेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त भुगतान	1.00	0.00	0.00
29	50	4059-01-051-02	मतदेय	प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों के नवनिर्माण/विस्तार/पुनर्निर्माण/सुदृढीकरण एवं भूमि क्रय हेतु एकमुश्त प्रावधान	30.01	28.62	95.37
30	58	5054-03-337-13	मतदेय	एकमुश्त प्रावधान	760.00	1022.15	134.49
31	58	5054-04-337-13	मतदेय	एकमुश्त प्रावधान	4229.00	3502.23	82.81
32	58	5054-04-337-66	मतदेय	कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सर्म्पक मार्गों/लघु सेतुओं के नये कार्य हेतु एकमुश्त प्रावधान (नाबार्ड पोषित) (जिला योजना)	700.00	551.15	78.74

क्र० सं०	अनुदान सं०	लेखा शीर्ष	मतदेय/भारित	विवरण	मूल बजट प्रावधान	व्यय	प्रतिशत
33	58	5054-04-337-83	मतदेय	नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के चालू कार्यों हेतु एकमुश्त प्रावधान	500.00	332.24	66.45
34	58	5054-04-337-86	मतदेय	नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त प्रावधान	800.00	211.87	26.48
35	58	5054-80-800-05	मतदेय	सूचना प्रौद्योगिकी के प्रबंधन और नियोजन के कार्यों हेतु एकमुश्त प्रावधान	60.00	3.57	5.95
36	59	4059-80-051-03	मतदेय	अनावासीय भवनों के जीर्णोद्धार एवं जल वितरण कार्य हेतु एकमुश्त प्रावधान	0.50	0.00	0.00
37	61	2049-04-101-03	भारित	एकमुश्त ऋण	78.95	78.95	100.00
38	61	6004-09-101-03	भारित	एकमुश्त ऋण	276.09	276.09	100.00
39	62	2071-01-117-07	मतदेय	एनपीएस से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों के दिनांक 31.03.2019 तक के अवशेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त भुगतान	3000.00	00	0.00
40	75	2071-01-117-07	मतदेय	एनपीएस से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों के दिनांक 31.03.2019 तक के अवशेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त भुगतान	0.10	00	0.00
41	83	5054-03-789-05	मतदेय	राज्य के प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के कार्यों हेतु एकमुश्त प्रावधान	135.00	188.56	139.67
42	83	5054-04-789-19	मतदेय	रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों के लिए एकमुश्त प्रावधान	95.45	77.02	80.69
43	83	5054-04-789-27	मतदेय	कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण संपर्क मार्गों/लघु सेतुओं के चालू कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था (नाबार्ड पोषित) (जिला योजना)	5.00	0.38	7.60
44	84	2075-800-03	मतदेय	अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत उल्लिखित पुरस्कारों से विभूषित किये जाने वाले उ० प्र० के नागरिकों को नकद पुरस्कार के रूप में एकमुश्त धनराशि	3.00	2.70	90.00
45	87	2075-104-04	मतदेय	वीर चक्र श्रृंखला के विजेताओं को राज्य सरकार का एकमुश्त नकद पुरस्कार/ अनुदान	0.60	0.58	96.67
46	87	2075-104-05	मतदेय	वार सेना मेडल के पुरस्कार प्राप्त उ० प्र० के एवं सीमा सुरक्षा बल के सैनिकों को एकमुश्त सैनिक नकद पुरस्कार	2.70	1.62	60.00

क्र० सं०	अनुदान सं०	लेखा शीर्ष	मतदेय/भारित	विवरण	मूल बजट प्रावधान	व्यय	प्रतिशत
47	87	2075-104-07	मतदेय	विशिष्ट सेवा मेडल श्रृंखला के पदक विजेताओं को एकमुश्त अनुदान	1.70	0.86	50.59
48	91	4059-01-800-03	मतदेय	स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग के कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु एकमुश्त प्रावधान	70.00	25.74	36.77
49	94	4701-40-051-05	मतदेय	मध्यम सिंचाई योजना (वाणिज्यिक) हेतु एकमुश्त व्यवस्था	0.98	0.28	28.57
50	94	4701-97-051-10	मतदेय	नहरों पर क्षतिग्रस्त, पक्की संरचनाओं यथा पुल/पुलिया, साइफन, हेड रेगुलेटर, ग्रेट्स के निर्माण की परियोजना हेतु एकमुश्त व्यवस्था (वाणिज्यिक)	30.00	12.77	42.57
51	94	4711-01-103-03	मतदेय	सीमान्त बांध (राज्य सेक्टर) एकमुश्त प्रावधान	1.50	0.00	0.00
	17	योग			11022.30	6474.16	58.74

परिशिष्ट-3.2

(प्रस्तर 3.2.4 में सन्दर्भित)

वर्ष 2023-24 के बजट अभिलेख में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के वित्त पोषण पद्धति विवरण में (केन्द्रांश/राज्यांश/वित्तीय संस्थाओं) का उल्लेख नहीं किया जाना

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं० और नाम	लेखा शीर्ष	कार्यक्रम का नाम	धनराशि
03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	2851-102-01-0103	लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना-सब्सिडी	50.00
21-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	4059-60-051-01-0102	द्वितीय मानक प्रयोगशाला/कैलिब्रेशन टावर्स के लिए भवन का निर्माण	10.00
37-नगरीय विकास विभाग	2230-02-101-01-0101	राज्य स्तर पर एक प्रकोष्ठ का गठन	0.13
42-न्याय विभाग	2014-102-01-0101	माननीय उच्च न्यायालय में सूचना एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना	0.10
44-पर्यटन विभाग	5452-80-104-01-0109	प्रासाद योजनान्तर्गत चिन्हित स्थलों में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का सृजन	15.00
47-तकनीकी शिक्षा विभाग	4202-02-105-01-0105	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अन्तर्गत अभियंत्रण संस्थाओं की स्थापना एवं सुदृढीकरण	4.80
48-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	4235-02-800-01-0125	प्रधानमन्त्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम. एस.डी.पी.) योजनान्तर्गत कामकाजी महिला छात्रावास का निर्माण	7.46
49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2235-02-102-01-0101	समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत वेतन का भुगतान	424.08
60-वन विभाग	4406-01-800-01-0112	फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एण्ड मैनेजमेन्ट योजना	0.19
75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	4202-01-201-01-0104	तीन जनपदों (गाजियाबाद, अमेठी और कासगंज) में नवीन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	5.75
81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	4202-01-796-01-0108	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	0.08
	4210-03-796-01-0101	14 जिला चिकित्सालयों को उच्चकृत कर मेडिकल कालेजों की स्थापना	99.75
	4210-03-796-01-0102	एम.बी.बी.एस. एवं पी.जी. पाठ्यक्रमों की सीटों में वृद्धि	30.88
83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना)	2235-02-789-01-0103	किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (एस.ए. जी.)	9.66
	4202-01-789-01-0108	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	2.16
	4210-03-789-01-0101	14 जिला चिकित्सालयों को उच्चकृत कर मेडिकल कालेजों की स्थापना	282.09
	4210-03-796-01-0102	एम.बी.बी.एस. एवं पी.जी. पाठ्यक्रमों की सीटों में वृद्धि	87.36
	4405-789-01-101	प्रधानमन्त्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत स्टेट आफ आर्ट होलसेल फिश मार्केट का निर्माण	82.50
94-सिंचाई विभाग (निर्माण)	4700-17-051-01-0101	त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नहरों के सम्बद्ध कार्य (एल.टी.आई.एफ. पोषित)	192.00
	4700-18-051-01-0101	त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नहरों के सम्बद्ध कार्य (एल.टी.आई.एफ. पोषित)	7.20

अनुदान सं० और नाम	लेखा शीर्ष	कार्यक्रम का नाम	धनराशि
	4700-21-051-01-0101	त्वरित सिचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नहरों के सम्बद्ध कार्य (एल.टी.आई.एफ. पोषित)	0.10
	4700-22-051-01-0101	त्वरित सिचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नहरों के सम्बद्ध कार्य (एल.टी.आई.एफ. पोषित)	300.00
योग			1611.29

परिशिष्ट-3.3
(प्रस्तर 3.2.4 में सन्दर्भित)

उन प्रकरणों का विवरण जहाँ केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में वित्त पोषण प्रतिरूप में कुल केन्द्रांश और राज्यांश 100 प्रतिशत से अधिक/कम या अन्य वित्तीय संस्थान/अनुदानग्राही के वित्त पोषण अंश का उल्लेख नहीं है

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं० और नाम	लेखा शीर्ष	कार्यक्रम का नाम	धनराशि
37—नगरीय विकास विभाग	2217-05-191-01-0105	अटल मिशन फार रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफारमेशन के अन्तर्गत सहायता (अमृत—2.0) (के. 25 / राज्य 33.33) (10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर)	914.15
	2217-05-192-01-0105	अटल मिशन फार रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफारमेशन के अन्तर्गत सहायता (अमृत—2.0) (के. 33.33 / राज्य 50.00) (एक लाख से 10 लाख तक जनसंख्या वाले शहर)	1021.91
	2217-05-193-01-0105	अटल मिशन फार रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफारमेशन के अन्तर्गत सहायता (अमृत—2.0) (के. 33.33 / राज्य 50.00) (एक लाख से कम जनसंख्या वाले शहर)	558.03
45—पर्यावरण विभाग	3435-04-103-01-0101	खतरनाक अपशिष्ट निस्तारण सुविधाओं की स्थापना और अनाधिकृत खतरनाक अपशिष्ट निस्तारण स्थलों का उपचार (के. 0 / राज्य 50.00)	3.00
योग			2497.09

परिशिष्ट-3.4
(प्रस्तर 3.3.1 में सन्दर्भित)
अनुदान-वार बचत दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र०सं०	अनुदान सं०	कुल बजट प्रावधान	कुल व्यय	बचत	उपभोग (प्रतिशत में)	उपभोग की सीमा (प्रतिशत में)
1	54	3238.91	109.49	3129.42 ¹⁰	3.38	1 से 30
2	12	686.10	131.52	554.58	19.17	
3	53	1.68	0.44	1.24	26.19	
योग		3926.69	241.45	3685.24		31 से 50
4	19	33.13	10.88	22.25	32.84	
5	17	476.83	166.85	309.98	34.99	
6	35	18606.13	8205.74	10400.39	44.10	
7	40	4150.73	1833.18	2317.55	44.17	
8	21	25748.87	11401.29	14347.58	44.28	
9	84	881.58	390.96	490.62	44.35	
10	3	1938.03	935.23	1002.80	48.26	
योग		51835.30	22944.13	28891.17		
11	1	628.23	315.70	312.53	50.25	51 से 70
12	4	81.12	41.44	39.68	51.08	
13	10	1947.84	1008.82	939.02	51.79	
14	59	614.10	338.31	275.79	55.09	
15	85	9.55	5.27	4.28	55.18	
16	92	549.63	309.34	240.29	56.28	
17	22	1011.19	570.40	440.79	56.41	
18	42	8234.06	4720.97	3513.09	57.33	
19	48	2399.73	1384.58	1015.15	57.70	
20	33	1862.77	1093.50	769.27	58.70	
21	49	12648.65	7772.11	4876.54	61.45	
22	94	13664.27	8511.80	5152.47	62.29	
23	36	1334.85	854.23	480.62	63.99	
24	18	1356.41	884.40	472.01	65.20	
25	13	29190.91	19039.59	10151.32	65.22	
26	63	350.97	230.29	120.68	65.62	
27	76	811.32	544.88	266.44	67.16	
28	81	2080.52	1397.44	683.08	67.17	
29	41	593.18	408.98	184.20	68.95	
30	27	27.41	18.96	8.45	69.17	
31	51	5671.31	3932.49	1738.82	69.34	
32	11	8104.17	5631.36	2472.81	69.49	

¹⁰ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-VI परिशिष्ट-V के अनुसार अनुदान संख्या 54 से व्यय ₹ 2406.54 करोड़ का आनुपातिक समायोजन अन्य अनुदानों, अनुदान संख्या-55 लोक निर्माण विभाग (भवन), अनुदान संख्या-57 लोक निर्माण विभाग (संचार-पुल) एवं अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार-सड़के) में किया गया है। इस प्रकार, अनुदान संख्या 54 में वास्तविक बचत ₹ 722.84 करोड़ थी तथा उपभोग मूल प्रावधान का 77.68 प्रतिशत था।

क्र०सं०	अनुदान सं०	कुल बजट प्रावधान	कुल व्यय	बचत	उपभोग (प्रतिशत में)	उपभोग की सीमा (प्रतिशत में)
33	45	19.64	13.73	5.91	69.91	
योग		93191.83	59028.59	34163.24		
34	43	1306.34	915.76	390.58	70.10	71 से 90
35	91	650.74	463.85	186.89	71.28	
36	95	6073.81	4335.77	1738.04	71.38	
37	65	485.09	350.03	135.06	72.16	
38	89	1294.81	934.34	360.47	72.16	
39	28	397.89	287.51	110.38	72.26	
40	71	73898.71	53813.77	20084.94	72.82	
41	24	2117.76	1561.42	556.34	73.73	
42	77	156.20	115.30	40.90	73.82	
43	67	86.85	64.77	22.08	74.58	
44	39	54.30	40.58	13.72	74.73	
45	32	10956.40	8280.19	2676.21	75.57	
46	75	338.77	256.69	82.08	75.77	
47	70	960.91	728.73	232.18	75.84	
48	31	9795.86	7439.47	2356.39	75.95	
49	2	7360.00	5599.13	1760.87	76.08	
50	29	27.54	21.04	6.50	76.40	
51	73	4843.02	3713.22	1129.80	76.67	
52	93	18207.94	14042.70	4165.24	77.12	
53	16	338.63	261.46	77.17	77.21	
54	34	720.19	559.30	160.89	77.66	
55	52	5013.78	3931.10	1082.68	78.41	
56	50	1487.76	1167.48	320.28	78.47	
57	62	74954.45	58931.13	16023.32	78.62	
58	26	37636.39	29626.99	8009.40	78.72	
59	83	32669.64	25858.02	6811.62	79.15	
60	8	272.15	215.56	56.59	79.21	
61	60	1963.51	1561.93	401.58	79.55	
62	72	17573.80	14234.51	3339.29	81.00	
63	30	10.46	8.56	1.90	81.84	
64	15	3247.79	2660.76	587.03	81.93	
65	80	9759.80	8231.59	1528.21	84.34	
66	61	103030.04	87074.91	15955.13	84.51	
67	57	4288.74	3628.93	659.81	84.62	
68	5	144.10	121.94	22.16	84.62	
69	78	2029.56	1721.40	308.16	84.82	
70	82	94.66	80.33	14.33	84.86	
71	55	287.31	243.97	43.34	84.92	
72	25	2037.38	1733.84	303.54	85.10	
73	6	1780.50	1518.51	261.99	85.29	
74	87	84.77	72.92	11.85	86.02	

क्र०सं०	अनुदान सं०	कुल बजट प्रावधान	कुल व्यय	बचत	उपभोग (प्रतिशत में)	उपभोग की सीमा (प्रतिशत में)
75	9	64359.63	55717.37	8642.26	86.57	
76	7	21116.23	18307.77	2808.46	86.70	
77	23	311.17	269.86	41.31	86.72	
78	46	27.97	24.40	3.57	87.24	
79	69	2135.23	1880.65	254.58	88.08	
80	37	26409.18	23365.34	3043.84	88.47	
81	47	973.37	862.79	110.58	88.64	
योग		553771.13	446837.59	106933.54		
82	58	31045.25	28138.88	2906.37	90.64	91 से 100
83	20	265.24	240.74	24.50	90.76	
84	74	2904.21	2649.54	254.67	91.23	
85	38	1891.60	1733.65	157.95	91.65	
86	44	1785.93	1643.57	142.36	92.03	
87	14	15567.47	14600.27	967.20	93.79	
88	68	325.06	306.45	18.61	94.27	
89	79	4227.10	4051.43	175.67	95.84	
90	86	1484.62	1434.52	50.10	96.63	
91	66	262.64	259.28	3.36	98.72	
योग		59759.12	55058.33	4700.79		

परिशिष्ट-3.5
(प्रस्तर 3.3.2 में सन्दर्भित)

वर्ष 2023-24 के दौरान प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक बचत वाली अनुदानें

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	प्रावधान	व्यय	बचत	अभ्यर्पण को छोड़कर बचत
राजस्व मतदेय						
1	1	आबकारी विभाग	585.88	315.70	270.18	0.05
2	2	आवास विभाग	440.04	282.67	157.37	135.72
3	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग और निर्यात प्रोत्साहन)	1067.25	846.61	220.64	220.64
4	6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	1760.40	1513.41	246.99	246.99
5	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	10770.41	8641.40	2129.01	1267.85
6	9	ऊर्जा विभाग	36974.35	32992.26	3982.09	3982.09
7	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विभाग)	1840.13	963.52	876.61	8.77
8	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	7392.35	5105.80	2286.55	2165.80
9	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	686.10	131.52	554.58	554.58
10	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	5888.42	4018.71	1869.71	1196.94
11	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	14995.65	14265.30	730.35	644.86
12	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	2966.10	2418.64	547.46	(-)0.96
13	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	476.23	166.35	309.88	309.88
14	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	1106.15	667.76	438.39	(-)1.81
15	21	खाद्य तथा रसद विभाग	3684.80	1429.68	2255.12	2148.16
16	25	गृह विभाग (जेल)	1298.50	1048.85	249.65	0.04
17	26	गृह विभाग (पुलिस)	32954.47	26048.15	6906.32	6902.52
18	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	390.84	287.47	103.37	103.08
19	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	6038.71	5671.40	367.31	367.31
20	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	9776.49	7699.98	2076.51	2076.51
21	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	1766.35	1021.52	744.83	744.83
22	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	680.19	522.11	158.08	0.02
23	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	16106.69	7527.76	8578.93	8578.93
24	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	1096.17	642.67	453.50	0.07
25	37	नगर विकास विभाग	23681.80	21390.49	2291.31	322.81
26	41	निर्वाचन विभाग	582.78	406.14	176.64	0.22
27	42	न्याय विभाग	3936.76	3427.62	509.14	494.69
28	43	परिवहन विभाग	659.04	272.05	386.99	140.19

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	प्रावधान	व्यय	बचत	अभ्यर्पण को छोड़कर बचत
29	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1609.93	1191.07	418.86	(-)0.39
30	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	12424.55	7730.01	4694.54	(-)80.70
31	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	1360.52	1052.15	308.37	0.35
32	51	राजस्व विभाग (देवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	4206.05	3054.42	1151.63	1151.63
33	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	4951.01	3925.05	1025.96	180.80
34	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	3238.32	108.94	3129.38 ¹¹	2406.69
35	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य संपदा निदेशालय)	382.78	263.04	119.74	0.13
36	60	वन विभाग	917.88	689.70	228.18	0.08
37	61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	26491.71	25282.25	1209.46	1205.91
38	62	वित्त विभाग (अधिवर्षता भत्ते तथा पेंशनें)	74753.68	58928.91	15824.77	15824.77
39	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	349.13	229.05	120.08	0.00
40	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प-बचत आदि)	407.09	282.21	124.88	0.75
41	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	1459.50	1209.96	249.54	249.54
42	70	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	829.91	691.77	138.14	23.69
43	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	70709.84	52567.55	18142.29	18142.29
44	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	15724.45	13649.88	2074.57	2074.57
45	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	4004.31	3230.46	773.85	773.85
46	74	गृह विभाग (होमगार्ड)	2870.78	2647.38	223.40	(-)1.26
47	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	611.65	398.68	212.97	164.70
48	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	2024.55	1720.86	303.69	(-)0.50
49	79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन का सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	4061.00	3938.84	122.16	10.80
50	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	9759.80	8231.59	1528.21	0.39
51	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	1204.70	809.37	395.33	350.74
52	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	18132.22	14438.93	3693.29	2780.61
53	89	राज्य कर विभाग	1251.91	932.63	319.28	311.08
54	91	स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग	579.74	437.46	142.28	142.28
55	93	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग	1242.76	1020.53	222.23	0.04
56	94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	4700.02	4204.11	495.91	495.91

¹¹ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-VI परिशिष्ट-V के अनुसार अनुदान संख्या 54 से व्यय ₹ 2406.54 करोड़ का आनुपातिक समायोजन अन्य अनुदानों, अनुदान संख्या-55 लोक निर्माण विभाग (भवन), अनुदान संख्या-57 लोक निर्माण विभाग (संचार-पुल) एवं अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार-सड़के) में किया गया है। इस प्रकार, अनुदान संख्या 54 में वास्तविक बचत ₹ 722.84 करोड़ था।

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	प्रावधान	व्यय	बचत	अभ्यर्पण को छोड़कर बचत
57	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	6073.31	4335.77	1737.54	215.86
		योग (राजस्व मतदेय)	465936.15	366928.11	99008.04	79035.39
पूँजीगत मतदेय						
1	2	आवास विभाग	6919.95	5316.46	1603.49	1603.49
2	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग और निर्यात प्रोत्साहन)	870.72	88.62	782.10	782.10
3	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	10345.82	9666.36	679.46	239.18
4	9	ऊर्जा विभाग	20084.38	15425.71	4658.67	4658.67
5	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	711.62	525.48	186.14	98.03
6	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	23302.27	15020.72	8281.55	3060.75
7	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	571.83	334.97	236.86	224.23
8	21	खाद्य तथा रसद विभाग	22064.00	9971.61	12092.39	9664.46
9	22	खेल विभाग	691.66	325.97	365.69	0.00
10	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	2048.50	1506.60	541.90	416.90
11	26	गृह विभाग (पुलिस)	4677.92	3577.57	1100.35	1099.46
12	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	3757.16	1768.07	1989.09	1989.09
13	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	1179.71	580.01	599.70	599.70
14	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	2498.99	677.81	1821.18	1821.18
15	37	नगर विकास विभाग	2727.38	1974.85	752.53	752.52
16	38	नागरिक उड्डयन विभाग	1783.65	1650.61	133.04	133.04
17	40	नियोजन विभाग	3844.26	1618.75	2225.51	41.69
18	42	न्याय विभाग	3479.64	636.26	2843.38	2843.38
19	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	789.78	193.50	596.28	0.00
20	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	224.10	42.10	182.00	0.00
21	51	राजस्व विभाग (देवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	610.90	23.71	587.19	587.19
22	57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	4163.74	3497.99	665.75	(-)317.52
23	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	18332.52	15187.18	3145.34	(-)838.90
24	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य संपदा निदेशालय)	231.32	75.27	156.05	154.09
25	60	वन विभाग	1045.49	872.23	173.26	0.14
26	61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	165.00	51.89	113.11	113.11
27	62	वित्त विभाग (अधिवर्षता भत्ते तथा पेंशनें)	200.00	1.36	198.64	198.64
28	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	3188.88	1246.22	1942.66	1942.66
29	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	1849.36	584.63	1264.73	1264.73

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	प्रावधान	व्यय	बचत	अभ्यर्पण को छोड़कर बचत
30	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	838.71	482.76	355.95	355.95
31	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	14537.42	11419.08	3118.34	1613.18
32	84	सामान्य प्रशासन विभाग	785.26	384.16	401.10	0.00
33	92	संस्कृति विभाग	307.03	114.84	192.19	192.19
34	93	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति	16965.18	13022.17	3943.01	0.04
35	94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	8959.25	4303.60	4655.65	4655.65
योग (पूँजीगत मतदेय)			184753.40	122169.12	62584.28	39949.02
योग (राजस्व मतदेय + पूँजीगत मतदेय)			650689.55	489097.23	161592.32	118984.41
राजस्व भारित						
1	42	न्याय विभाग	810.15	657.09	153.06	153.06
2	61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	49622.77	44792.73	4830.04	4830.04
योग (राजस्व भारित)			50432.92	45449.82	4983.10	4983.10
पूँजीगत भारित						
1	61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	26750.56	16948.04	9802.52	9802.52
योग (पूँजीगत भारित)			26750.56	16948.04	9802.52	9802.52
योग (राजस्व भारित + पूँजीगत भारित)			77183.48	62397.86	14785.62	14785.62
महायोग			727873.03	551495.09	176377.94	133770.03

परिशिष्ट-3.6

(प्रस्तर 3.3.3 में सन्दर्भित)

अनुदान जिसमें विगत पाँच वर्षों (2019-2024) के दौरान लगातार बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान सं०	अनुदान का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व मतदेय							
1	11	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (कृषि)	1078.24	1655.00	1525.32	2123.05	2286.55
2	13	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (ग्रामीण विकास)	648.55	903.83	403.18	940.07	1869.71
3	15	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (पशुधन)	223.83	412.87	389.67	576.68	547.46
4	26	गृह विभाग (पुलिस)	1809.86	5594.62	4030.66	4422.93	6906.32
5	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	1935.09	2514.99	1937.56	2497.53	2076.51
6	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	331.55	330.7	343.03	622.47	744.82
7	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	988.46	592.63	1573.99	4551.49	8578.94
8	36	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)	261.71	333.35	379.53	384.86	453.50
9	37	नगर विकास विभाग	8753.97	3890.8	6838.6	9665.26	2291.31
10	42	न्याय विभाग	813.17	967.23	1014.07	963.36	509.14
11	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1081.21	1086.58	1137.7	1133.25	418.86
12	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	3554.23	4417.62	2195.3	3004.2	4694.54
13	51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	532.44	2289.91	229.38	1841.95	1151.62
14	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	1547.59	1134.72	1189.95	885.92	1025.97
15	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) ¹²	1878.77	2497.34	1971.55	2144.33	3129.38
16	60	वन विभाग	245.9	334.84	347.56	339.77	288.19
17	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	124.91	303.76	310.2	231.61	249.53
18	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	14407.71	13745.25	13969.6	12753.75	18142.29
19	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	1502.17	3151.5	3014.2	2152.12	2074.56
20	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	342.64	813.8	760.00	578.68	773.85
21	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	139.51	214.52	384.92	1389.97	1528.21
22	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	4255.67	4486.13	7052.22	6576.27	3693.29
23	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	1344.21	1618.46	1517.73	1362.51	1737.54
योग			47801.39	53290.45	52515.92	61142.03	65172.09

¹² वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-VI परिशिष्ट-V के अनुसार अनुदान संख्या 54 से व्यय का आनुपातिक समायोजन अन्य अनुदानों, अनुदान संख्या-55 लोक निर्माण विभाग (भवन), अनुदान संख्या-57 लोक निर्माण विभाग (संचार-पुल) एवं अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार-सड़के) में किया गया है। इस प्रकार, अनुदान संख्या 54 में वास्तविक बचत ₹ 285.15 करोड़ (2019-20), ₹ 628.90 करोड़ (2020-21), ₹ 512.51 करोड़ (2021-22), ₹ 528.26 करोड़ (2022-23) तथा ₹ 722.84 करोड़ (2023-24) थी।

क्र० सं०	अनुदान सं०	अनुदान का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
पूँजीगत (मतदेय)							
24	13	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (ग्रामीण विकास)	9371.66	7380.9	5605.88	2158.61	8281.56
25	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	344.64	267.39	1936.66	696.82	599.70
26	40	नियोजन विभाग	1021.53	897.57	2274.74	511.24	2225.51
27	42	न्याय विभाग	1377.26	1687.2	1819.57	2296.6	2843.38
योग			12115.09	10233.06	11636.85	5663.27	13950.15
महायोग (राजस्व मतदेय + पूँजीगत मतदेय)			59916.48	63523.51	64152.77	66805.30	79122.24

परिशिष्ट-3.7
(प्रस्तर 3.3.4 में सन्दर्भित)
जिन योजनाओं में अनुपूरक प्रावधान का उपयोग नहीं किया जा सका

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या	विभाग का नाम	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत
राजस्व मतदेय									
1.	5	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	2851-105-29	खादी एवं ग्रामोद्योग विकास एवं सतत् स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति	13.00	1.45	14.45	10.12	4.33
2.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	2852-07-202-11	विशेष सहायता योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में 01 वाई-फाई कनेक्शन एवं 05 FTTH कनेक्शन हेतु परिचालन व्ययों (OPEX) की व्यवस्था	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00
3.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	2401-119-04	फल	173.93	54.02	227.95	162.89	65.06
4.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2415-80-120-04	उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर को अनुदान	107.56	2.00	109.56	69.98	39.58
5.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	2501-01-800-02	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	1843.99	59.21	1903.20	1174.51	728.69
6.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	2501-01-800-89	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	1205.09	39.48	1244.57	783.01	461.56
7.	22	खेल विभाग	2204-104-29	राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन	0.05	2.00	2.05	0.00	2.05
8.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-109-03	109- जिला पुलिस- 03- जिला पुलिस (मुख्य)	21580.25	26.34	21606.59	17447.86	4158.73
9.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-104-03	राज्य शस्त्र कान्सटेबुलरी- मुख्य	3856.52	8.97	3865.49	2797.04	1068.45
10.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-101-04	अनुसंधान अनुभाग	620.31	17.73	638.04	440.33	197.71
11.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-111-03	मुख्य	620.66	5.30	625.96	462.45	163.51
12.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-114-03	पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र	311.05	1.57	312.62	154.44	158.18
13.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2070-108-03	प्रशासन	715.75	2.65	718.40	579.10	139.30

क्र० सं०	अनुदान संख्या	विभाग का नाम	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत
14.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-109-04	राज्य रेडियो अनुभाग- मुख्य	495.97	1.50	497.47	361.17	136.30
15.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-101-03	अभिसूचना अनुभाग- मुख्य	522.69	4.96	527.65	392.22	135.43
16.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2245-80-102-03	एस.डी.आर.एफ. का गठन	81.24	9.74	90.98	49.99	40.99
17.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-109-13	यू.पी. 112 परियोजना	281.20	21.07	302.27	268.53	33.74
18.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-104-06	इण्डिया रिजर्व वाहिनी का गठन	104.93	6.57	111.50	79.44	32.06
19.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-104-07	07-उत्तर प्रदेश विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा वाहिनी	86.89	1.26	88.15	57.52	30.63
20.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-001-03	निदेशन एवं प्रशासन- मुख्य	57.07	1.10	58.17	37.16	21.01
21.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-108-03	राज्य पुलिस मुख्यालय	133.32	1.60	134.92	120.97	13.95
22.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	2210-05-001-03	निदेशन	124.53	2.26	126.79	86.85	39.94
23.	34	चिकित्सा विभाग (होमियोपैथी)	2210-04-102-03	चिकित्सालय एवं औषधालय	361.83	10.00	371.83	342.75	29.08
24.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	2210-06-001-04	खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय की स्थापना	162.28	5.00	167.28	139.47	27.81
25.	42	न्याय विभाग	2014-105-03	जिला एवं सत्र न्यायाधीश	2025.32	245.00	2270.32	1988.32	282.00
26.	42	न्याय विभाग	2014-105-89	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	101.91	4.00	105.91	33.08	72.83
27.	42	न्याय विभाग	2014-106-03	लघुवाद न्यायालय -अधिष्ठान	26.51	1.50	28.01	24.59	3.42
28.	43	परिवहन विभाग	3055-190-04	राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा व्यवस्था हेतु निगम को प्रतिकर का भुगतान	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
29.	46	प्रशासनिक सुधार विभाग	2070-800-03	उ. प्र. सूचना आयोग का गठन	19.01	1.87	20.88	18.02	2.86

क्र० सं०	अनुदान संख्या	विभाग का नाम	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत
30.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	2203-105-03	पालिटेक्निक-सामान्य पालिटेक्निक	538.71	4.00	542.71	511.86	30.85
31.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	3054-80-797-04	राज्य सड़क निधि को अन्तरण	3000.00	250.00	3250.00	3000.00	250.00
32.	68	विधान सभा सचिवालय	2011-02-101-03	विधान सभा	150.57	1.63	152.20	131.15	21.05
33.	79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांग जन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	2225-03-277-05	पिछड़ी जातियों के कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता	170.00	30.00	200.00	147.15	52.85
34.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	2515-796-01	केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	0.00	51.28	51.28	0.00	51.28
35.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	2515-796-89	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	19.96	34.18	54.14	15.69	38.45
36.	82	सतर्कता विभाग	2070-104-04	सतर्कता निदेशालय	74.02	1.77	75.79	65.12	10.67
37.	86	सूचना विभाग	2220-102-03	सूचना केन्द्र का अधिष्ठान	12.86	2.27	15.13	11.10	4.03
38.	89	राज्य कर विभाग	2040-800-04	वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान	34.56	3.52	38.08	29.88	8.20
39.	92	संस्कृति विभाग	2205-101-27	अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00
योग राजस्व मतदेय (कुल अनुदान 22)					39633.54	932.80	40566.34	31993.76	8572.58
पूँजीगत मतदेय									
1.	2	आवास विभाग	4217-60-051-05	वाराणसी एवं गोरखपुर में एकीकृत मण्डलीय कार्यालय का निर्माण	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
2.	2	आवास विभाग	4216-80-800-04	राज्य राजधानी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण एवं अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों के गठन हेतु	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00

क्र० सं०	अनुदान संख्या	विभाग का नाम	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत
3.	9	ऊर्जा विभाग	4801-05-190-89	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	3152.00	611.00	3763.00	2402.00	1361.00
4.	26	गृह विभाग (पुलिस)	4070-800-09	जिला पुलिस (मुख्य)	250.00	14.38	264.38	35.76	228.62
5.	26	गृह विभाग (पुलिस)	4055-207-01	केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	79.91	118.94	198.85	1.75	197.10
6.	26	गृह विभाग (पुलिस)	4055-211-06	पुलिस विभाग के आवासीय भवनों का निर्माण	1000.00	42.47	1042.47	940.79	101.68
7.	26	गृह विभाग (पुलिस)	4055-211-07	केन्द्रीय पुलिस बल (आर.ए.एफ./सी.आर.पी.एफ.) / राज्य पुलिस बल के भवनों के लिए भूमि क्रय आदि	150.00	40.14	190.14	95.98	94.16
8.	26	गृह विभाग (पुलिस)	4070-800-11	अग्नि से बचाव तथा नियन्त्रण-प्रशासन	49.15	34.44	83.59	39.02	44.57
9.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	4210-800-08	आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना	65.00	10.00	75.00	50.62	24.38
10.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	4210-800-05	खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के मण्डलीय कार्यालय एवं प्रयोगशालाओं का भवन निर्माण	200.00	20.00	220.00	195.00	25.00
11.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	4210-107-03	राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशालाओं का उच्चीकरण	15.54	1.28	16.82	14.86	1.96
12.	37	नगर विकास विभाग	6215-02-191-05	पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना	50.00	25.00	75.00	43.68	31.32
13.	40	नियोजन विभाग	4575-800-04	बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	300.00	75.00	375.00	289.63	85.37
14.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	4235-103-07	मुख्यमन्त्री बाल आश्रय योजना के अन्तर्गत राजकीय संस्थाओं/गृहों का भवन निर्माण	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
15.	57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन- सेतु)	5054-04-101-04	सामान्य सेतु निर्माण (राज्य क्षेत्र)-	1181.85	39.41	1221.26	1049.51	171.75
16.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन- सड़कें)	5054-800-58	राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढीकरण/चौड़ीकरण	2500.00	250.00	2750.00	2315.29	434.71

क्र० सं०	अनुदान संख्या	विभाग का नाम	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत
17.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन—सड़कें)	5054-797-03	राज्य सड़क निधि को अन्तरण	2500.00	250.00	2750.00	2500.00	250.00
18.	60	वन विभाग	4406-02-110-13	संरक्षित क्षेत्रों का प्राकृतवास एवं वन्यजीव प्रबन्धन योजना	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00
19.	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचत आदि)	4059-01-051-05	वित्त विभाग के अधीन समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों हेतु एकीकृत भवन का निर्माण	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00
20.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	4202-01-201-01	केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	1103.50	9.80	1113.30	618.43	494.87
21.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	4202-01-201-89	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	735.67	6.54	742.21	546.19	196.02
22.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	4202-01-202-05	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का भवन निर्माण, विस्तार, विद्युतीकरण एवं भूमि/भवन क्रय (जिला योजना)	500.00	383.00	883.00	419.59	463.41
23.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	4202-01-202-33	नवीन राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय एवं 05 नवीन राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00
24.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	4202-01-203-89	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	4.19	7.44	11.63	0.00	11.63
25.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	4202-01-203-01	केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	0.00	11.16	11.16	0.00	11.16
26.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	4202-01-201-01	केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	25.42	16.13	41.55	23.54	18.01
27.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	4202-01-201-89	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	16.95	10.74	27.69	15.69	12.00

क्र० सं०	अनुदान संख्या	विभाग का नाम	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत
28.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	4202-01-796-01	केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	78.64	3.88	82.52	19.59	62.93
29.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	4202-01-796-89	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	52.42	2.59	55.01	30.93	24.08
30.	84	सामान्य प्रशासन विभाग	4250-800-13	उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक भूमि पर स्थित 100 वर्ष से अधिक पुराने मंदिर/मठ/धर्मशाला/कुण्ड/तीर्थ स्थल आदि का जीर्णोद्धार/मरम्मत तथा भजन संध्या स्थल/सत्संग स्थल आदि का निर्माण	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00
31.	84	सामान्य प्रशासन विभाग	4250-800-12	जनोपयोगी संरक्षित मंदिरों का जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण	0.00	4.06	4.06	0.00	4.06
32.	92	संस्कृति विभाग	4202-800-54	अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00
33.	93	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग	4215-01-102-02	ग्रामीण जलापूर्ति- जल जीवन मिशन	16644.60	200.00	16844.60	12907.94	3936.66
योग पूँजीगत मतदेय (15 अनुदान)					30654.84	2379.40	33034.24	24555.79	8478.45
योग (राजस्व मतदेय + पूँजीगत मतदेय) (कुल 37 अनुदान)					70288.38	3312.20	73600.58	56549.55	17051.03

परिशिष्ट-3.8
(प्रस्तर 3.3.5 में सन्दर्भित)
अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान सं०	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	योग	व्यय	बचत
1	2	2029-भू-राजस्व 001-निर्देशन एवं प्रशासन 03-कलेक्टरों के कार्यालय (नजूल)	1.60	0.11	1.71	1.34	0.37
2	7	2852- उद्योग 80-800-07-ग्लोबल इनवेस्टर समिट- 2023	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00
3	8	2058- लेखन सामग्री एवं मुद्रण- 103-04-राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ	64.60	1.32	65.92	41.41	24.51
4	8	2058- लेखन सामग्री एवं मुद्रण - 103-07-राजकीय मुद्रणालय, वाराणसी	10.39	0.05	10.44	7.34	3.10
5	8	2058- लेखन सामग्री एवं मुद्रण - 103-06-राजकीय मुद्रणालय, रामपुर	8.44	0.19	8.63	8.05	0.58
6	11	2401-फसल कृषि कर्म 109- 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	198.19	3.82	202.01	160.69	41.32
7	11	2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा 80-120- 27-कृषि विश्वविद्यालय बांदा की स्थापना	21.89	1.60	23.49	21.55	1.94
8	11	2401- फसल कृषि कर्म 109-09-प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना	6.47	0.67	7.14	5.87	1.27
9	15	2403- पशु पालन 101-89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	82.15	2.93	85.08	82.15	2.93
10	18	2425- सहकारिता 108- अन्य सहकारी समितियों को सहायता 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	30.00	13.68	43.68	27.22	16.46
11	26	2055-पुलिस 101-04- अनुसंधान अनुभाग	638.04	5.31	643.35	440.33	203.02
12	26	4055- पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय 207-राज्य पुलिस 14- यू पी. 112 परियोजना	390.00	187.56	577.56	234.95	342.61
13	26	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय 800-18-राज्य रेडियो अनुभाग	12.00	41.43	53.43	0.19	53.24
14	26	2055- पुलिस - 109-जिला पुलिस 13-यू.पी. 112 परियोजना	302.28	12.74	315.02	268.53	46.49
15	26	4055- पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय 207-राज्य पुलिस 23- विशेष पुलिस अभियान दल	2.70	4.72	7.42	1.94	5.48
16	31	2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 105-03- शिक्षा	5460.88	2.00	5462.88	5236.54	226.34
17	31	4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय 03- 105-51- राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़	7.50	0.75	8.25	1.00	7.25

क्र० सं०	अनुदान सं०	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	योग	व्यय	बचत
18	31	4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय 03- चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान 105-55- राजकीय एलोपैथी मेडिकल कालेज, उरई, जालौन	7.00	0.41	7.41	5.64	1.77
19	32	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय 110-10- उत्तर प्रदेश चिकित्सा आपूर्ति निगम	5.00	3.43	8.43	5.00	3.43
20	35	2211- परिवार कल्याण 101-89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	759.41	1.50	760.91	441.84	319.07
21	36	4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय 800-अन्य व्यय 04- खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय	0.10	2.99	3.09	0.09	3.00
22	42	2014-न्याय प्रशासन 105-89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	105.91	0.24	106.15	33.08	73.07
23	42	2014- न्याय प्रशासन 108-04- रेलवे मजिस्ट्रेटों का अधिष्ठान	14.87	0.42	15.29	13.49	1.80
24	44	3452-पर्यटन 80-सामान्य 001- निदेशन एवं प्रशासन 03- अधिष्ठान - पर्यटन निदेशालय	15.25	1.76	17.01	11.70	5.31
25	51	2245-प्राकृतिक आपदा से राहत 80- सामान्य 800-अन्य व्यय 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	0.39	0.18	0.57	0.17	0.40
26	73	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय 01- सामान्य शिक्षा 203-विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा 06-असेवित मण्डलो में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना	0.10	1.00	1.10	0.00	1.10
27	81	2401- फसल कृषि कर्म 796-89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	4.91	0.22	5.13	3.03	2.10
28	83	2401- फसल कृषि कर्म 789-89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	229.24	3.75	232.99	138.85	94.14
29	83	2402- मृदा तथा जल संरक्षण 789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	89.63	8.40	98.03	29.84	68.19
30	83	2402- मृदा तथा जल संरक्षण 789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना 89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	77.40	2.48	79.88	20.37	59.51

क्र० सं०	अनुदान सं०	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	योग	व्यय	बचत
31	86	2220- सूचना एवं प्रचार 60-अन्य 001-निर्देशन एवं प्रशासन 03-स्थापना व्यय	61.84	1.00	62.84	48.52	14.32
32	91	2030- स्टाम्प एवं पंजीकरण 03-पंजीकरण 001- निर्देशन एवं प्रशासन 03- मुख्यालय	62.75	2.50	65.25	41.11	24.14
33	91	2030- स्टाम्प एवं पंजीकरण -02-स्टाम्प-न्यायिकेतर 001- निर्देशन एवं प्रशासन 03-अधिष्ठान	1.47	0.01	1.48	0.73	0.75
34	92	2205-कला एवं संस्कृति 001-निर्देशन एवं प्रशासन 03- संस्कृति निर्देशालय	11.06	0.63	11.69	10.36	1.33
35	92	2205- कला एवं संस्कृति 101-ललित कला शिक्षा 07- उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य एकेडमी, लखनऊ को अनुदान	4.06	0.08	4.14	3.43	0.71
36	94	4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 01- बाढ़ नियन्त्रण 103-सिविल निर्माण कार्य 23-नदी में सुधार व कटाव निरोधक योजनाएं (नाबार्ड पोषित)	1486.43	15.91	1502.34	1175.98	326.36
37	94	4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 01- बाढ़ नियन्त्रण 103-सिविल निर्माण कार्य 09-कटाव निरोधक योजनाएं	143.37	25.65	169.02	36.85	132.17
38	94	4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 01- बाढ़ नियन्त्रण 103-सिविल निर्माण कार्य 08-तटबंधों का निर्माण	206.86	6.81	213.67	103.19	110.48
39	94	4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 01- बाढ़ नियन्त्रण 103-सिविल निर्माण कार्य 07- अनपेक्षित आपातकालीन कार्य	50.00	38.75	88.75	37.86	50.89
40	94	4702- लघु सिंचाई परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 102-भू-जल 03-नलकूप योजनाएं	762.82	3.88	766.70	727.14	39.56
41	94	4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 01- बाढ़ नियन्त्रण 103-सिविल निर्माण कार्य 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	105.19	9.57	114.76	77.02	37.74
42	94	4700- मुख्य सिंचाई परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 06-पूर्वी यमुना नहर (वाणिज्यिक) 051-निर्माण 10-नहरें	35.10	2.30	37.40	24.93	12.47
43	94	4700- मुख्य सिंचाई परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 05- लोवर गंगा नहर (वाणिज्यिक) 051-निर्माण 13- जनपद कन्नौज के विकास क्षेत्र जलालाबाद एवं तालग्राम (डार्क जोन) में सिंचाई	11.00	4.25	15.25	5.49	9.76

क्र० सं०	अनुदान सं०	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	योग	व्यय	बचत
		सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में परियोजना					
44	94	4701- मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 93-विभिन्न बैराजों/बांधों के जल यांत्रिक प्रणालियों का पुनरोद्धार की परियोजना (वाणिज्यिक) 051-निर्माण 07-बैराज	33.53	0.62	34.15	25.24	8.91
45	94	4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 01- बाढ़ नियन्त्रण 103-सिविल निर्माण कार्य 06- नदी में सुधार व कटाव निरोधक योजनाएं	22.00	0.31	22.31	13.86	8.45
46	94	2701- मध्यम सिंचाई 11-बिजनौर नहरें (वाणिज्यिक) 101-रख-रखाव एवं मरम्मत 03-अन्य रख-रखाव व्यय	1.70	4.03	5.73	1.20	4.53
47	94	2701- मध्यम सिंचाई 17- गुरसराय नहर (वाणिज्यिक) 101-रख-रखाव एवं मरम्मत 03- अन्य रख-रखाव व्यय	3.60	1.53	5.13	3.54	1.59
	21	योग	11549.12	473.49	12022.61	9578.65	2443.96

परिशिष्ट-3.9

(प्रस्तर 3.3.6 में सन्दर्भित)

मुख्य शीर्षों को दर्शाने वाले विवरण जहाँ मार्च 2024 में 50 प्रतिशत या अधिक व्यय किया गया था

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान सं०	विवरण	चतुर्थ तिमाही का व्यय	2023-24 के दौरान कुल व्यय	मार्च 2024 के दौरान व्यय	कुल व्यय के सापेक्ष में मार्च 2024 में व्यय का प्रतिशत	चतुर्थ तिमाही में व्यय प्रतिशत के रूप में कुल व्यय
1	17	कृषि और अन्य संबद्ध विभाग (मत्स्य)	93.44	166.85	84.63	50.72	56.00
2	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	164.54	243.97	126.30	51.77	67.44
3	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन- सड़कें)	19504.74	28138.87	16111.18	57.26	69.32
4	79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	2863.45	4051.43	2746.41	67.79	70.68

स्रोत: म.ले.(ले.एवं हक-1) उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा उपलब्ध कराया गया वी०एल०सी० डाटा

परिशिष्ट-3.10
(प्रस्तर 3.3.7 में सन्दर्भित)
योजनायें जिनके लिए मूल प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सका

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान सं०	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	व्यय	बचत
1.	2	आवास विभाग	4217-01-190-09	वाराणसी, गोरखपुर एवं अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना	100.00	0.00	100.00
2.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग और निर्यात प्रोत्साहन)	2851-102-28	उ.प्र. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति, 2022	100.00	0.00	100.00
3.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग और निर्यात प्रोत्साहन)	4851-102-09	भारत सरकार द्वारा राज्यों को पूँजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता	200.00	0.00	200.00
4.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग और निर्यात प्रोत्साहन)	5475-800-03	औद्योगिक आस्थानों/औद्योगिक पार्कों के विकास हेतु निजी क्षेत्र के निवेशकों को आर्थिक सहायता	500.00	0.00	500.00
5.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	2852-800-03	त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 का क्रियान्वयन	125.00	0.00	125.00
6.	9	ऊर्जा विभाग	4801-05-190-20	ग्रीन एनर्जी कारिडोर-II के पारेषण कार्य हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता के सापेक्ष उ. प्र. पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन को अंशपूँजी	100.00	0.00	100.00
7.	9	ऊर्जा विभाग	6801-190-03	ग्रीन एनर्जी कारिडोर-II के पारेषण कार्य हेतु के.एफ.डब्ल्यू. से प्राप्त होने वाले ऋण के सापेक्ष उ.प्र.पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन को ऋण	1020.00	0.00	1020.00
8.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	6860-04-190-12	निगम की चीनी मिलों के क्षमता विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण/प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र/को-जेनरेशन संयंत्र/आसवनी की स्थापना एवं जीर्णोद्धार आदि कार्य हेतु ऋण	170.00	0.00	170.00
9.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	4210-80-800-03	15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत व्यवस्था	408.53	0.00	408.53
10.	42	न्याय विभाग	4059-01-052-03	अधीनस्थ न्यायालय की सुरक्षा हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरा एवं अन्य सुरक्षा उपकरण	100.00	0.00	100.00
11.	42	न्याय विभाग	4070-800-04	जनपद न्यायालय वाराणसी के नवीन परिसर हेतु भूमि अर्जन	100.00	0.00	100.00
12.	42	न्याय विभाग	4059-01-051-18	मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ के लिए नये भवनों का निर्माण	150.00	0.00	150.00
13.	42	न्याय विभाग	4059-01-051-08	पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत न्यायालय परिसर का निर्माण	700.00	0.00	700.00
14.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2235-02-102-21	मुख्यमन्त्री सक्षम सुपोषण योजना	100.00	0.00	100.00
15.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	6075-800-03	सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के वित्तीय पुर्नगठन के लिए ऋण सहायता	100.00	0.00	100.00

क्र० सं०	अनुदान सं०	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	व्यय	बचत
16.	62	वित्त विभाग (अधिवर्षता भत्ते तथा पेंशन)	2071-01-117-09	अभिदाता अंशदान विलम्ब से जमा कराये जाने पर ब्याज का भुगतान	100.00	0.00	100.00
17.	62	वित्त विभाग (अधिवर्षता भत्ते तथा पेंशन)	2071-01-117-08	दिनांक 31-03-2019 तक देय अवशेष नियोक्ता अंशदान/देरी से जमा किये गये नियोक्ता अंशदान पर ब्याज	980.00	0.00	980.00
18.	62	वित्त विभाग (अधिवर्षता भत्ते तथा पेंशन)	2071-01-117-07	एन.पी.एस. से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों के दिनांक 31-03-2019 तक के अवशेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त भुगतान	3000.00	0.00	3000.00
19.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	4202-01-201-08	भारत सरकार द्वारा राज्यों को पूँजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता	300.00	0.00	300.00
20.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	2202-800-01	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	163.80	0.00	163.80
21.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	4202-01-202-08	भारत सरकार द्वारा राज्यों को पूँजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता	300.00	0.00	300.00
22.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2202-03-800-23	मुख्यमन्त्री प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना	100.00	0.00	100.00
23.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	4202-01-203-18	भारत सरकार द्वारा राज्यों को पूँजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता	300.00	0.00	300.00
24.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	2230-01-111-09	असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु "मुख्यमन्त्री जन आरोग्य योजना"	100.00	0.00	100.00
25.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	4700-17-51-01	सरयू नहर परियोजना (वाणिज्यिक)- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	192.00	0.00	192.00
26.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	4700-23-051-10	बदायूं सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)- नहरें	350.00	0.00	350.00
योग : 15 अनुदान					9859.33	0.00	9859.33

परिशिष्ट-3.11

(प्रस्तर 3.3.7 में सन्दर्भित)

योजनाओं का विवरण जिनके मूल प्रावधानों को अन्य योजनाओं में पुनर्विनियोजित किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं.	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	पुनर्विनियोजन	योग	व्यय	बचत
1.	1	आबकारी विभाग	4059-01-051-04	कमान और नियंत्रण केन्द्र, लखनऊ की स्थापना	41.45	(-)41.45	0.00	0.00	0.00
2.	7	उद्योग विभाग (भारी और मध्यम उद्योग)	5054-03-337-14	गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु वी.जी. एफ. धनराशि	11.20	(-)11.20	0.00	0.00	0.00
3.	7	उद्योग विभाग (भारी और मध्यम उद्योग)	5054-15	झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना	150.00	(-)150.00	0.00	0.00	0.00
4.	11	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2071-01-117-07	कृषि विश्वविद्यालयों के एन.पी.एस.से आच्छादित कर्मचारियों के दिनांक 31-03-2019 तक के अवशेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त भुगतान	14.00	(-)14.00	0.00	0.00	0.00
5.	11	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	4415-80-277-05	कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों में एग्रीटेक स्टार्ट-अप/इक्यूवेशन सेन्टर की स्थापना	20.00	(-)20.00	0.00	0.00	0.00
6.	11	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	4415-80-277-33	महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुशीनगर की स्थापना	50.00	(-)50.00	0.00	0.00	0.00
7.	15	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	2403-102-08	अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, रहमानखेडा, लखनऊ पर बोवाइन पशुओं में सेक्सड/सार्टेड सीमेन के उपयोग की योजना (राज्य योजना)	44.74	(-)44.74	0.00	0.00	0.00
8.	18	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	6425-800-04	एकीकृत सहकारी विकास योजना के अन्तर्गत ऋण (एन.सी. डी.सी. पोषित)	25.00	(-)25.00	0.00	0.00	0.00
9.	19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	4070-003-03	उत्तर प्रदेश प्रशासनिक एवं प्रबंधन अकादमी	19.43	(-)19.43	0.00	0.00	0.00
10.	22	खेल विभाग	4202-03-800-81	जनपद बलिया में स्पोर्ट्स कालेज	10.00	(-)10.00	0.00	0.00	0.00
11.	22	खेल विभाग	2204-104-15	उत्तर प्रदेश खेल विकास निधि	25.00	(-)25.00	0.00	0.00	0.00
12.	22	खेल विभाग	4202-03-800-79	गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज में वेलोड्रोम का निर्माण	25.00	(-)25.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	अनुदान सं.	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	पुर्णविनियोजन	योग	व्यय	बचत
13.	22	खेल विभाग	4202-03-800-76	निजी सहभागिता से खेल अकादमियों को विकसित किये जाने हेतु भूमि क्रय	40.00	(-)40.00	0.00	0.00	0.00
14.	22	खेल विभाग	4202-03-102-13	प्रदेश में निजी सहभागिता से खेल अवस्थापनाओं का निर्माण	50.00	(-)50.00	0.00	0.00	0.00
15.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	6860-04-101-07	सहकारी चीनी मिल साथा की आधुनिकीकरण/ सुदृढीकरण तथा पेराई क्षमता में सुधार हेतु तकनीकी उन्नयन के कार्य	20.00	(-)20.00	0.00	0.00	0.00
16.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	6860-04-101-08	दी किसान सहकारी चीनी मिल सुल्तानपुर के आधुनिकीकरण/ सुदृढीकरण तथा पेराई क्षमता में सुधार हेतु तकनीकी उन्नयन के कार्य	20.00	(-)20.00	0.00	0.00	0.00
17.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	6860-04-101-06	सहकारी चीनी मिल स्नेहरोड की पेराई क्षमता विस्तारीकरण तथा आसवनी आदि हेतु	85.00	(-)85.00	0.00	0.00	0.00
18.	25	गृह विभाग (कारागार)	4070-800-22	कारागारों में सोलर एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट, हाईमास्ट तथा स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था	10.00	(-)10.00	0.00	0.00	0.00
19.	26	गृह विभाग (पुलिस)	4070-800-24	अग्निशमन केन्द्रों पर सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन	25.00	(-)25.00	0.00	0.00	0.00
20.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	4210-03-105-25	सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर प्रदेश के असेवित जनपदों में मेडिकल कालेज की स्थापना	48.00	(-)48.00	0.00	0.00	0.00
21.	37	नगर विकास विभाग	2217-800-08	नगर पालिका परिषद् जनपद मऊ में स्वतंत्रता सेनानियों/शहीदों की स्मृति में सभागार का निर्माण	15.00	(-)15.00	0.00	0.00	0.00
22.	40	नियोजन विभाग	4215-106-03	त्वरित आर्थिक विकास योजना	10.00	(-)10.00	0.00	0.00	0.00
23.	40	नियोजन विभाग	4575-800-09	सी.सी. रोड एवं के.सी. ड्रेन निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था	12.57	(-)12.57	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	अनुदान सं.	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	पुर्नविनियोजन	योग	व्यय	बचत
24.	40	नियोजन विभाग	4575-102-03	ग्रामीण जलापूर्ति—जलापूर्ति कार्यक्रमों हेतु एकमुश्त व्यवस्था	15.00	(-)15.00	0.00	0.00	0.00
25.	40	नियोजन विभाग	4575-337-03	सड़क निर्माण कार्य—सड़को के लिए एकमुश्त व्यवस्था	18.00	(-)18.00	0.00	0.00	0.00
26.	40	नियोजन विभाग	2575-02-800-04	बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाएं	36.84	(-)36.84	0.00	0.00	0.00
27.	40	नियोजन विभाग	4575-02-800-03	बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाएं	38.16	(-)38.16	0.00	0.00	0.00
28.	40	नियोजन विभाग	4215-102-03	त्वरित आर्थिक विकास योजना	50.00	(-)50.00	0.00	0.00	0.00
29.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2235-02-800-01	केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	11.87	(-)11.87	0.00	0.00	0.00
30.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2202-01-800-89	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	80.00	(-)80.00	0.00	0.00	0.00
31.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2202-01-800-01	प्राथमिक शिक्षा— केन्द्र प्रायोजित योजना	120.00	(-)120.00	0.00	0.00	0.00
32.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2235-02-102-07	आयुष्मान भारत के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का स्वास्थ्य बीमा	25.00	(-)25.00	0.00	0.00	0.00
33.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	4070-800-01	केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	50.87	(-)50.87	0.00	0.00	0.00
34.	57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन—सेतु)	5054-04-101-39	सेतुओं/आर.ओ.बी. पलाई ओवर, रिहैबिलिटेशन के निर्माण/पुर्ननिर्माण/जीर्णोद्धार हेतु तकनीकी अध्ययन एवं परियोजना का गठन एवं क्रियान्वयन इत्यादि के लिए परामर्श लेने व पुराने सेतुओं का पुर्ननिर्माण/जीर्णोद्धार/पुनरोद्धार हेतु व्यवस्था	50.00	(-)50.00	0.00	0.00	0.00
35.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन—सड़कें)	5054-800-04	मूल्य ह्रास आरक्षित निधि से मशीनरी तथा उपस्कर क्रय	40.00	(-)40.00	0.00	0.00	0.00
36.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन—सड़कें)	3054-04-337-06	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पंचवर्षीय अनुरक्षणोपरान्त नियमित अनुरक्षण	50.00	(-)50.00	0.00	0.00	0.00
37.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन—सड़कें)	3054-800-04	डिक्रीटल राशि का भुगतान	50.00	(-)50.00	0.00	0.00	0.00
38.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन—सड़कें)	5054-800-03	उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण	50.00	(-)50.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	अनुदान सं.	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	पुर्नविनियोजन	योग	व्यय	बचत
39.	60	वन विभाग	4406-110-17	जनपद लखनऊ स्थित कुकरैल वन क्षेत्र में कुकरैल नाइट सफारी पार्क की स्थापना	49.50	(-)49.50	0.00	0.00	0.00
40.	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	2054-097-04	कोषागारों का कम्प्यूटरीकरण	25.00	(-)25.00	0.00	0.00	0.00
41.	74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	4070-800-03	आवासीय भवनों का निर्माण	10.00	(-)10.00	0.00	0.00	0.00
42.	74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	4070-800-04	अनावासीय भवनों का निर्माण	15.00	(-)15.00	0.00	0.00	0.00
43.	79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	4225-277-01	शिक्षा — केन्द्र प्रायोजित योजना	14.96	(-)14.96	0.00	0.00	0.00
44.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	2225-277-01	शिक्षा — केन्द्र प्रायोजित योजना	12.00	(-)12.00	0.00	0.00	0.00
45.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	4235-02-789-01	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— केन्द्र प्रायोजित योजना	10.00	(-)10.00	0.00	0.00	0.00
46.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	4225-01-789-01	केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	591.60	(-)591.60	0.00	0.00	0.00
47.	84	सामान्य प्रशासन विभाग	4250-800-09	जनपद प्रयागराज में भजन संध्या स्थल का निर्माण	18.50	(-)18.50	0.00	0.00	0.00
48.	84	सामान्य प्रशासन विभाग	4250-800-11	जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केन्द्र की स्थापना	25.00	(-)25.00	0.00	0.00	0.00
49.	84	सामान्य प्रशासन विभाग	4250-10	जनपद मीरजापुर में त्रिकोणीय क्षेत्र, माँ विन्ध्यवासनी मंदिर, माँ अष्टभुजा मंदिर व माँ काली खोह मंदिर के परिक्रमा पथ एवं जन सुविधा स्थलों को विकसित किया जाना	200.00	(-)200.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	अनुदान सं.	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	पुर्नविनियोजन	योग	व्यय	बचत
50.	89	राज्य कर विभाग	4059-01-051-32	सहायता केन्द्रों एवं कार्यालय भवनों का निर्माण	36.61	(-)36.61	0.00	0.00	0.00
योग: 26 अनुदान					2465.30	(-)2465.30	0.00	0.00	0.00

परिशिष्ट-3.12
(प्रस्तर 3.3.8 में सन्दर्भित)
उन अनुदानों का सारांश जिनमें समर्पण बचत से अधिक है

(₹ करोड़ में)

क्र०सं०	अनुदान सं०	अनुदान का नाम	बचत	समर्पण	अधिक समर्पण
राजस्व मतदेय					
1	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	547.46	548.42	0.96
2	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	67.67	67.68	0.01
3	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	438.39	440.20	1.81
4	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	41.29	42.06	0.77
5	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	418.86	419.25	0.39
6	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	4694.54	4775.24	80.70
7	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	7.81	19.99	12.18
8	68	विधान सभा सचिवालय	14.51	15.23	0.72
9	74	गृह विभाग (होमगार्ड)	223.40	224.66	1.26
10	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	303.69	304.19	0.50
	10	योग (राजस्व मतदेय)	6757.62	6856.92	99.30
राजस्व भारित					
11	29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	6.45	6.49	0.04
	01	योग (राजस्व भारित)	6.45	6.49	0.04
पूँजीगत मतदेय					
12	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	39.43	39.48	0.05
13	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	34.83	56.15	21.32
14	57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	665.75	983.27	317.52
15	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़के)	3145.34	3984.24	838.90
	04	योग (पूँजीगत मतदेय)	3885.35	5063.14	1177.79
	13	महायोग	10649.42	11926.55	1277.13

परिशिष्ट-4.1

(प्रस्तर 4.15 में सन्दर्भित)

विभिन्न स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों के लेखे के अन्तिमीकरण के लम्बित होने का विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिसके लेखे प्राप्त नहीं हुये	लम्बित वार्षिक लेखाओं की कुल संख्या
1.	वन विभाग	क्षतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए)	2020-21 से 2023-24	04
2.	अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग	न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2018-19 से 2023-24	06
3.	—तदैव—	ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण	2020-21 से 2023-24	04
4.	—तदैव—	यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2023-24	01
5.	—तदैव—	उ0प्र0 एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2023-24	07
6.	—तदैव—	सथारिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2023-24	19
7.	—तदैव—	गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2023-24	19
8.	—तदैव—	उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2023-24	19
9.	—तदैव—	लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण ¹³	2005-06 से 2020-21	16
10.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)	उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	2022-23 से 2023-24	02
11.	ऊर्जा विभाग	उत्तर प्रदेश विद्युत् विनियामक आयोग	2023-24	01
12.	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	उत्तर प्रदेश रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी	2023-24	01
13.	—तदैव—	लखनऊ विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2023-24	07
14.	—तदैव—	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	2022-23 से 2023-24	02
15.	—तदैव—	आगरा विकास प्राधिकरण	2020-21 से 2023-24	04
16.	—तदैव—	मेरठ विकास प्राधिकरण	2020-21 से 2023-24	04
17.	—तदैव—	प्रयागराज विकास प्राधिकरण	2021-22 से 2023-24	03
18.	—तदैव—	हापुड़/पिलखुआ विकास प्राधिकरण	2020-21 से 2023-24	04
19.	—तदैव—	वाराणसी विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2023-24	07
20.	—तदैव—	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2023-24	07
21.	—तदैव—	गोरखपुर विकास प्राधिकरण	2021-22 से 2023-24	03
22.	—तदैव—	मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2020-21 से 2023-24	04
23.	—तदैव—	अलीगढ़ विकास प्राधिकरण	2020-21 से 2023-24	04
24.	—तदैव—	बरेली विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2023-24	07
25.	—तदैव—	रायबरेली विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2023-24	07
26.	—तदैव—	सहारनपुर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2023-24	07
27.	—तदैव—	अयोध्या/ फैजाबाद विकास प्राधिकरण	2020-21 से 2023-24	04
28.	—तदैव—	फिरोजाबाद/शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2023-24	07
29.	—तदैव—	कानपुर विकास प्राधिकरण	2020-21 से 2023-24	04
30.	—तदैव—	रामपुर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2023-24	07
31.	—तदैव—	उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण	2022-23 से 2023-24	02

¹³ 04 मार्च 2021 से प्राधिकरण को क्र0 सं0 8 पर अंकित प्राधिकरण में समाहित कर दिया गया है।

क्र.सं.	विभाग का नाम	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिसके लेखे प्राप्त नहीं हुये	लम्बित वार्षिक लेखाओं की कुल संख्या
32.	—तदैव—	झांसी विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2023-24	07
33.	—तदैव—	मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2023-24	07
34.	—तदैव—	बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2023-24	07
35.	—तदैव—	खुर्जा विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2023-24	07
36.	—तदैव—	उरई विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2023-24	07
37.	—तदैव—	बाँदा विकास प्राधिकरण	2022-23 से 2023-24	02
38.	—तदैव—	बागपत बड़ौत खेकड़ा विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2023-24	07
39.	—तदैव—	आजमगढ़ विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2023-24	07
40.	—तदैव—	बस्ती विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2023-24	07
41.	—तदैव—	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, शक्ति नगर	2020-21 से 2023-24	04
42.	—तदैव—	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, चित्रकूट	2017-18 से 2023-24	07
43.	—तदैव—	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कपिलवस्तु	2017-18 से 2023-24	07
44.	—तदैव—	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, विन्ध्याचल-मीरजापुर	2017-18 से 2023-24	07
45.	—तदैव—	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कुशीनगर	2017-18 से 2023-24	07
46.	विधि विभाग	उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	2021-22 से 2023-24	03
47.	—तदैव—	उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग	1996-97 से 2023-24	28
48.	दिव्यांगजन कल्याण विभाग	डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास अधिकार	2022-23 से 2023-24	02
49.	बाल कल्याण विभाग	उ. प्र. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग	2015-16 से 2023-24	09
50.	श्रम विभाग	सचिव, यूपी भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ	1996-97 से 2023-24	28
51.	खाद्य एवं नगर आपूर्ति विभाग	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	2014-15 से 2023-24	10
52.	कृषि शिक्षा एवं अनुसन्धान विभाग, उ० प्र० शासन	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या	2019-20 से 2023-24	05
53.	—तदैव—	चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर	2019-20 से 2023-24	05
54.	—तदैव—	सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ	2019-20 से 2023-24	05
55.	—तदैव—	बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा	2019-20 से 2023-24	05
56.	पशुधन विभाग, उ०प्र० शासन	पं. दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसन्धान संस्थान, मथुरा	2019-20 से 2023-24	05
योग				388

परिशिष्ट-4.2
(प्रस्तर 4.16 में सन्दर्भित)
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखाओं के अन्तिमीकरण की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	जब तक के लेखे अन्तिमीकृत किये गए	अन्तिम अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार निवेश
सिंचाई विभाग			
1.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, कानपुर	2023-24	2.30
2.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, झांसी	2022-23	12.56
3.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, बरेली	2023-24	4.44
4.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, मेरठ	2023-24	2.63
5.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, गोरखपुर	2022-23	0.82
6.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, प्रयागराज	2023-24	4.38
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग			
7.	खाद्य आयुक्त एवं सीएओ	2021-22	10563.28
पशुधन विभाग			
8.	उप निदेशक, पशुधन फार्म निगम	2020-21	108.03
स्वास्थ्य विभाग			
9.	उप निदेशक, राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि विभाग	1987-88	उपलब्ध नहीं
योग			10698.44